छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग



श्री विष्णु देव साय जी
मान. मुख्यमंत्री



श्री अरूण साव जी
मान. उपमुख्यमंत्री



वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2025-26



माननीय मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री विष्णु देव साय जी द्वारा कोतबा जल आवर्धन योजना का लोकार्पण



माननीय उप-मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री अरूण साव जी द्वारा
खुड़िया समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत जल शुद्धीकरण संयंत्र का भूमिपूजन एवं शिलान्यास

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वर्ष 2025-26

उप मुख्यमंत्री - माननीय श्री अरूण साव

मंत्रालय

सचिव - श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक

मिशन संचालक - श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला

अवर सचिव - श्री टी. आर. भतपहरी

अवर सचिव - श्री घनश्याम लाल साहू

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी - श्री अतुल कुमार माल्वे

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता - श्री ओंकेश चन्द्रवंशी



माननीय उप-मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री अरूण साव जी द्वारा पेयजल योजना का निरीक्षण
ग्राम सुकली विकासखण्ड लोरमी जिला मुंगेली



लाई समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत निर्मित जल शुद्धिकरण संयंत्र जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

अनुक्रमणिका

कमांक	विवरण	पृष्ठ कमांक
1.	भाग–1 विभागीय संरचना	1–7
2.	भाग–2 बजट प्रावधान विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	8–9
3.	भाग–3 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	10–46
4.	भाग–4 सामान्य प्रशासनिक विषय	47–53
5.	भाग–5 सारांश	54–60



मामाननीय मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री विष्णु देव साय जी
द्वारा कोतबा जल आवर्धन योजना का लोकार्पण



माननीय उप-मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री अरूण साव जी द्वारा पेयजल योजनाओं के
संचालन-संधारण हेतु रायपुर में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में मार्ग दर्शन दिया गया

भाग - एक

विभागीय संरचना

1.1 सामान्य :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

1.2 विभागीय संरचना :

मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष हैं। कार्यालय प्रमुख अभियंता, तृतीय तल, चतुर्थ ब्लाक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत् हैं:–

(अ) मुख्य अभियंता, रायपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय रायपुर :

कार्यक्षेत्र- रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 12 जिले क्रमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, मोहला–मानपुर– अम्बागढ़ चौकी एवं कबीरधाम।

(ब) मुख्य अभियंता, बिलासपुर परिक्षेत्र- मुख्यालय बिलासपुर :

कार्यक्षेत्र- बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 14 जिले क्रमशः बिलासपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़–बिलाईगढ, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर एवं जशपुर।

(स) मुख्य अभियंता, जगदलपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय जगदलपुरः

कार्यक्षेत्र- बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिले क्रमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ के प्रभारी होते है, उनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मुख्य अभियंता (वि0/यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचना :

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर मण्डल कार्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय कोण्डागांव में भी मण्डल कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय है। मण्डल कार्यालयों के प्रमुख, अधीक्षण अभियंता हैं।

प्रदेश के जिला स्तर पर एक सिविल खण्ड कार्यालय कार्यरत् है, इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और कोरबा में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार (सिविल) के जिला स्तरीय 33 खंड कार्यालय, 4 परियोजना खण्ड कार्यालय स्थापित हैं। जिनके कार्यालय प्रमुख, कार्यपालन अभियंता हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन कुल 89 उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) कार्यालय प्रमुख होते हैं।

विभाग के विद्युत/यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर में स्थापित है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। जिसके अंतर्गत 5 विद्युत/यांत्रिकी खण्ड कार्यालय, क्रमशः रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत/यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (वि/यां) कार्यालय प्रमुख होते है।

विभागीय संरचना



अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग	अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव	अधीक्षण अभियंता, वि0/यां0 मंडल, रायपुर
(1) खण्ड रायपुर उपखंड रायपुर भूजल संवर्धन उपखंड रायपुर (2) खण्ड धमतरी उपखंड धमतरी उपखंड कुरूद उपखंड नगरी (3) खण्ड महासमुंद उपखंड महासमुंद उपखंड सरायपाली (4) खण्ड बलौदाबाजार उपखंड भाटापारा उपखंड बलौदाबाजार उपखंड कसडोल (5) खण्ड गरियाबंद उपखंड गरियाबंद उपखंड राजिम उपखंड देवभोग (6) परि.खण्ड रायपुर परि. उपखंड क. 1 रायपुर. परि. उपखंड क. 2 रायपुर	(1) खण्ड दुर्ग उपखंड दुर्ग उपखंड पाटन (2) खण्ड बालोद उपखंड बालोद उपखंड गुंडरदेही उपखंड डौंडी (3) खण्ड बेमेतरा उपखंड बेमेतरा उपखंड साजा (4) खण्ड राजनांदगांव उपखंड राजनांदगांव उपखंड डोंगरगढ़ पि. संधा. उपखण्ड, राजनांदगांव (5) खण्ड खैरागढ़–छुईखदान–गंडई उपखंड खैरागढ़ उपखंड छुईखदान (6) खण्ड मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी उपखंड चौकी उपखंड मोहला (7) खण्ड कवीरधाम उपखंड कर्वा उपखंड पंडरिया उपखंड बोडला (8) परि.खण्ड बेमेतरा परि. उपखंड क.1 बेमेतरा परि. उपखंड क.2 बेमेतरा परि. उपखंड क.3 बेमेतरा	(1) खण्ड बिलासपुर उपखंड बिलासपुर उपखंड तखतपुर (2) खण्ड गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही उपखंड गौरेला (3) खण्ड मुंगेली उपखंड मुंगेली उपखंड पथरिया (4) खण्ड कोरबा उपखंड कोरबा उपखंड कटघोरा (5) खण्ड जांजगीर–चांपा उपखंड चांपा उपखंड अकलतरा (6) खण्ड सक्ती उपखंड सक्ती उपखंड जभरा (7) खण्ड रायगढ़ उपखंड रायगढ़ उपखंड धरमजयगढ़ उपखंड घरघोड़ा उपखंड खरसिया (8) खण्ड सारंगढ़–बिलाईगढ़ उपखंड सारंगढ़ (9) परि.खण्ड कोरबा परि. उपखंड क. 1 कोरबा परि. उपखंड क. 2 कोरबा	(1) खण्ड अंबिकापुर उपखंड अम्बिकापुर उपखंड सीतापुर (2) खण्ड बलरामपुर उपखंड बलरामपुर उपखंड कुसमी उपखंड रामानुजगंज उपखंड बाड्रफनगर (3) खण्ड सूरजपुर उपखंड सूरजपुर उपखंड प्रतापपुर उपखंड ओड़गी (4) खण्ड जशपुर उपखंड जशपुर उपखंड कुनकुरी उपखंड पत्थलगांव उपखंड कांसाबेल (5) खण्ड कोरिया उपखंड बैकुंठपुर उपखंड जनकपुर (6) खण्ड मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर उपखंड मनेन्द्रगढ़ उपखंड चिरमिरी	(1) खण्ड जगदलपुर उपखंड क.1 जगदलपुर (मुख्यलय बस्तर) उपखंड क.2 जगदलपुर उपखंड लोकापाल भू.सं.उपखंड जगदलपुर संधा.उपखंड जगदलपुर (2) खण्ड दंतेवाड़ा उपखंड दंतेवाड़ा उपखंड क.2 दंतेवाड़ा (3) खण्ड सुकमा उपखंड सुकमा उपखंड कोंटा (4) खण्ड बीजापुर उपखंड बीजापुर उपखंड भोपालपटनम (5) परि.खण्ड जगदलपुर परि.उपखण्ड क 3 जगदलपुर परि.उपखण्ड क 4 जगदलपुर	(1) खण्ड कोण्डागांव उपखंड कोंडागांव उपखंड केशकाल (2) खण्ड कांकेर उपखंड कांकेर उपखंड भानुप्रतापपुर उपखंड अंतागढ़ (3) खण्ड नारायणपुर उपखण्ड नारायणपुर	(1) वि/यां खण्ड रायपुर उपखंड रायपुर उपखंड गरियाबंद उपखंड बलौदाबाजार उपखंड धमतरी उपखंड महासमुंद (2) वि/यां खण्ड राजनांदगांव उपखंड दुर्ग उपखंड बालोद उपखंड बेमेतरा उपखंड राजनांदगांव उपखंड कवर्धा (3) वि/यां खण्ड बिलासपुर उपखंड बिलासपुर उपखंड मुंगेली उपखंड चांपा उपखंड कोरबा उपखंड रायगढ़ (4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर उपखंड अम्बिकापुर उपखंड सूरजपुर उपखंड बलरामपुर उपखंड कोरिया उपखंड जशपुर (5) वि/यां खण्ड जगदलपुर उपखण्ड जगदलपुर उपखण्ड कोण्डागांव उपखंड दंतेवाड़ा उपखंड सुकमा उपखंड कांकेर उपखंड बीजापुर उपखंड नारायणपुर

1.4 विभाग के दायित्वः

वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 49.97 लाख ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) द्वारा, 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से, गुणवत्तायुक्त शुद्ध पेयजल, दीर्घकालीन अवधि तक के लिए निरंतर उपलब्ध कराना, विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग के अन्य दायित्व निम्नानुसार है :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- समस्याग्रस्त बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है, अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्रोत पर आधारित समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- जल गुणवत्ता यथा लौह आधिक्य, फ्लोराइड आधिक्य, आर्सेनिक आधिक्य व लवण आधिक्य से प्रभावित बसाहटों में आवश्यकतानुसार जल शुद्विकरण संयंत्र की स्थापना एवं अनुरक्षण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का अनुरक्षण।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की फील्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं जल नमूनों का परीक्षण कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं, शासकीय भवन युक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य शासकीय भवनो में रनिंग वॉटर के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- मेलों में पेयजल एवं शौचालय की अस्थाई व्यवस्था।
- आउट विलेज कार्यों का संचालन एवं संधारण।
- इन विलेज संरचना में निर्मित टंकी, स्रोत एवं क्लोरीनेटर के डायोड्स का संधारण कार्य।

1.5 सामान्य जानकारी :

प्रदेश में वर्तमान में कुल आबाद ग्राम 19,656 हैं, इनमें कुल 75,220 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्रोत निर्मित किया गया है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 193 नगरीय निकायों में से 21 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

1.6 प्रमुख विशेषताएं:

प्रदेश में जलप्रदाय स्रोतों के विकास की मुख्य रूप से जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकार की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र प्रवर्तित पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य एवं भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना की लागत का 70 प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत ऋण नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

1.7 लक्ष्य:

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करना।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण।
- समूह जलप्रदाय योजनाओं के हेडवर्क्स का संचालन–संधारण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शालाओं, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वॉटर से पेयजल प्रदाय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी पेयजल स्रोतों का फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से वर्ष में एक बार केमिकल परीक्षण एवं दो बार जीवाणु परीक्षण किया जाना तथा सभी बसाहटों के न्यूनतम एक पेयजल स्रोत के जल नमूने का जिला प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाना।

1.8 महत्पूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2025 की स्थिति में):

(1)	ग्रामों की संख्या	:	19,656
(2)	बसाहटें	:	75,220
(3)	स्थापित हैंडपंप	:	2,98,230
(3)	स्थापित सोलर ड्यूल पंप	:	7,558

(5) शालाओं में पेयजल व्यवस्था :-

शालाओं की संख्या	:	46,280
रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध शालाओं की संख्या	:	43,980

(6) आँगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :-

आँगनबाडी केन्द्रों की संख्या	:	45,731
रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध आंगनबाड़ियों की संख्या	:	41,722

(7) ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं:-

एकल ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

कुल स्वीकृत योजनाएं	:	16,530
पूर्ण योजनाएं	:	3015

रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजनाएं

कुल स्वीकृत योजनाएं	:	5,153
पूर्ण योजनाएं	:	1409

सोलर जल प्रदाय योजनाएं

कुल स्वीकृत योजनाएं	:	7490
पूर्ण योजनाएं	:	3350

(8) स्थल जल प्रदाय योजनाएं:- (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत):-

कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,100
पूर्ण योजनाएं	:	2,100

(9) उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2025 तक) : 40,88,221

(10) पेयजल गुणवत्ता :-

गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित प्रदूषण निवारण संयंत्रों की स्थिति :–

1. लौह निवारण संयंत्र	:	2,969
2. फ्लोराइड निवारण संयंत्र	:	635
3. आर्सेनिक निवारण संयंत्र	:	04
4. टी.डी.एस.(खारा पानी) निवारण संयंत्र	:	168

(11) (11) नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :-

नगरीय निकायों की संख्या	:	193
प्रगतिरत् योजनाएं	:	21

भाग - दो

बजट प्रावधान

2.1 बजट (एक नजर में) :

वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 (दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक) के लिए बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य की योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये लाख में)

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित)	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2023-24	489331.89	320944.89	63.85%
2	2024-25	505941.30	359725.06	71.10%
3	2025-26 (दिसम्बर–2025)	531400.00	86266.37	16.23%

टीपः– वर्ष 2025–26 में बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 100634.38 लाख उपलब्ध करायी गयी है जिसके सापेक्ष व्यय का प्रतिशत 85.72 है।

2.2 मांग संख्यावार बजट प्रावधान :

विभागीय बजट में वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 31 दिसम्बर–2025 तक) के लिए बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में राजस्व एवं पूंजीगत मद अंतर्गत प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसम्बर 2025 तक)

(राशि लाख रूपये में)

लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट प्रावधान	कुल बजट प्रावधान	व्यय (दिसम्बर–2025 तक)	व्यय का प्रतिशत
मांग संख्या-20					
राजस्व अनुभाग	37036.02	500.00	37536.02	21389.42	56.98
पूंजी अनुभाग	242404.71	900.00	243304.71	39599.88	16.28
योग	**279440.73**	**1400.00**	**280840.73**	**60989.29**	**21.72**
मांग संख्या-41					
राजस्व अनुभाग	2867.18	0.00	2867.18	2751.91	95.98
पूंजी अनुभाग	148576.16	0.00	148576.16	15590.52	10.49
योग	**151443.34**	**0.00**	**151443.34**	**18342.44**	**12.11**
मांग संख्या-64					
राजस्व अनुभाग	284.45	0.00	284.45	284.43	99.99
पूंजी अनुभाग	95978.48	0.00	95978.48	5052.40	5.26
योग	**96262.93**	**0.00**	**96262.93**	**5336.83**	**5.54**
मांग संख्या-80					
राजस्व अनुभाग	2851.00	0.00	2851.00	1597.82	56.04
पूंजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**2851.00**	**0.00**	**2851.00**	**1597.82**	**56.04**
मांग संख्या-82					
राजस्व अनुभाग	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
पूंजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**2.00**	**0.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**
महा योग	**530000.00**	**1400.00**	**531400.00**	**86266.37**	**16.23**

भाग-तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन राज्य योजना के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण पेयजल प्रदाय से संबंधित कार्य जो जल जीवन मिशन में सम्मिलित नहीं हैं उनका कियान्वयन राज्य योजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

(अ) ग्रामीण पेयजल प्रदाय :

1. हैण्डपम्प योजनाएं : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों में नलकूप खनन उपरांत हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का कियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2025 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–



हैण्डपंप योजना के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता
ग्राम-सीतापुर पंडोपारा विकासखंड-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया

क.	विवरण	कुल लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल
1.	बसाहटों में नलकूप खनन	3,750	2564	2229
2.	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	210	143	126
3.	निक्षेप मद अंतर्गत नलकूप खनन	–	105	86

भौगोलिक एवं भूगर्भीय संरचना (स्ट्रेटा) के आधार पर जिलेवार रिग मशीनों का आबंटनः–

राज्य में वर्तमान में कुल 35 रिग मशीनें हैं जिसके माध्यम से प्रदेश में आवश्यकतानुसार नलकूप खनन का कार्य किया जाता है।

(i) विभाग में तीन तरह की रिग मशीनें उपलब्ध हैं :-

काउलर माउन्टेड रिग मशीन – 2 नग

ट्रेक्टर माउन्टेड रिग मशीन – 8 नग

ट्रक माउन्टेड रिग मशीन – 25 नग

(ii) भूगर्भीय संरचना (स्ट्रेटा) की दृष्टि से रिग मशीनों की उपलब्धता :-

- डी.टी.एच. रिग मशीन – 30 नग

ऐसी सतह जहॉ 10–15 मीटर तक मिट्टी पत्थर तथा बाद में कड़ी चट्टान प्राप्त होता है, तो इन स्थानों पर डी.टी.एच. रिग मशीनों की सहायता से नलकूपों का खनन किया जाता है।

- कॉम्बीनेशन रिग मशीन – 05 नग

ऐसी सतह जहॉ लगभग 30 से 40 मीटर तक बोल्डर, रेत व भसकने वाला स्ट्रेटा होता है एव इस स्ट्रेटा में पानी नहीं मिलने पर बाद में कड़ी चट्टान प्राप्त होता है ऐसी जगह पर इन मशीनों की सहायता से नलकूप का खनन किया जाता है एवं पानी मिलने की स्थिति में ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन के लिए उपयोग किया जाता है।

(iii) हाइड्रोफ्रेक्चरिंग यूनिट :-

- असफल नलकूपों को हाइड्रोफ्रेक्चरिंग कर सफल बनाने के लिए – 04 यूनिट कार्यरत् हैं।

(iv) यील्ड टेस्ट यूनिट:-

- नलकूपों की जल क्षमता का आंकलन करने के लिए 03 यील्ड टेस्ट यूनिट कार्यरत हैं।

v. जिलेवार कार्यरत रिग मशीन, हाइड्रोफैक्चर यूनिट एवं यील्ड टेस्ट यूनिट :-

कमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रो–फैक्चरिंग यूनिट	यील्ड टेस्ट यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	180 मीटर		
1	रायपुर	–	–	–	1	–	1
2	बलौदाबाजार	1	–	–	1		
3	धमतरी	1	–	1	–		
4	गरियाबंद	–	–	2	–		
5	महासमुंद	–	1	–	–		
6	दुर्ग	–	–	–	1	1	1
7	बालोद	–	1	–	–		
8	बेमेतरा	–	1	–	–		
9	राजनांदगांव	1	–	–	1		
10	खैरागढ़– छुईखदान–गंडई						
11	मोहला– मानपुर–अंबागढ़ चौकी						
12	कबीरधाम	–	1	–	–		
13	बिलासपुर	–	–	–	1	1	1
14	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	–	1	–	–		
15	मुंगेली	–	1	–	–		
16	रायगढ़	–	–	–	1		
17	सारंगढ़						
18	जांजगीर चांपा	1	1	–	–		
19	सक्ती						
20	कोरबा	–	–	–	1		
21	अंबिकापुर	–	–	–	1	1	–
22	कोरिया	–	1	–	–		
23	मनेन्द्रगढ़ –चिरमिरी–भरतपुर	–	1	–	–		
24	बलरामपुर	–	1	–	1		
25	सूरजपुर	1	–	–	–		
26	जशपुर	–	–	–	1		

कमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रो–फैक्चरिंग यूनिट	यील्ड टेस्ट यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	180 मीटर		
27	बस्तर	–	1	–	–	1	–
28	दंतेवाड़ा	–	–	1	–		
29	बीजापुर	–	1	–	–		
30	सुकमा	1	–	–	–		
31	कोंडागांव	–	–	1	–		
32	कांकेर	–	1	–	–		
33	नारायणपुर	–	1	–	–		
	योग–	6	14	5	10	4	3



ग्राम-छिपछपी, विकासखंड- खड़गवॉ, जिला- मनेन्द्रगढ़ -भरतपुर-चिरमिरी
नलकूप खनन कार्य

2. ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन जल जीवन मिशन के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति किया जाता है।



कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन ग्राम सरनाबहाल, विकासखंड-मैनपुर जिला-गरियाबंद

3. ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना:

प्रदेश में भू–गर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट के साथ–साथ पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। परिणामतः भूगर्भीय जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसे ग्राम जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा उपलब्ध भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, ऐसे ग्रामों के समूह के लिए सतही स्रोतों की उपलब्धता पर समूह जल प्रदाय योजनाएं कियान्वित की गई हैं।

I. कियान्वित समूह जल प्रदाय योजनाएं:

पूर्ण योजनाएं:–

क्र.	जिला	विकास खंड	योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
1.	बेमेतरा	नवागढ़	विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	54	6297.30 7885.06 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 05.10.2018	जल प्रदाय प्रारंभ	14,271
2.	बेमेतरा	बेमेतरा	विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	57	6322.03 7816.24 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 14.10.2019	जल प्रदाय प्रारंभ	13,802
3.	बेमेतरा	साजा	विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	41	3825.00 4495.80 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 27.05.2019	जल प्रदाय प्रारंभ	8,695
4.	मोहला–मानपुर–अ.चौकी	चौकी	विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	21	2041.63 2922.98 (प्रथम पुनरीक्षित) 3384.96 (द्वितीय पुनरीक्षित)	07.02.2015 16.03.2016 04.05.2017	जल प्रदाय प्रारंभ	7,596
5.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर	विकासखंड बस्तर के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों की कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना	33	4976.00 4968.00 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 10.09.2018	जलप्रदाय प्रारंभ	7,321
6.	राजनांद गांव	राजनांदगांव	धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	24	2877.44	18.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	8,245
7.	राजनांद गांव	राजनांदगांव	मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	23	2334.60	18.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	6,592
8.	दंतेवाड़ा	गीदम	ग्राम छिंदनार समूह जलप्रदाय योजन	9	1835.36 2494.14 (पुनरीक्षित)	18.03.2016 18.06.2018	जल प्रदाय प्रारंभ	2,809
9.	कबीरधाम	बोड़ला	पोड़ी समूह जलप्रदाय योजना	11	1417.06 1618.99 (पुनरीक्षित)	09.02.2016 09.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	2,387

क्र.	जिला	विकास खंड	योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
10.	सूरजपुर	सूरजपुर	हर्राटिकरा समूह जलप्रदाय योजना	18	3026.43	17.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	10,167
11.	बीजापुर	भोपाल पटनम	भोपालपट्नम रालापल्ली की समूह जलप्रदाय योजना	19	1553.81	16.11.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	1,593
12.	बालोद	गुंडरदेही	ग्राम देवरी (द) समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	7	1095.68 1356.30 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 26.06.2018	जल प्रदाय प्रारंभ	2046
13.	दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा एवं कुआकोण्डा	नेरली समूह जल प्रदाय योजना	08	1482.55	11.01.2018	8 ग्राम में से 3 ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ है	1359
14.	दन्तेवाड़ा	दंतेवाड़ा एवं कुआकोण्डा	धुरली समूह जल प्रदाय योजना	17	3866.00	11.01.2018	15 ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया।	5539
15.	कोरबा	पोडीउपरोडा	चोटिया समूह जल प्रदाय योजना	17	3218.90	05.05.2017	जलप्रदाय प्रारंभ	4050

4. नियद नेल्लानार योजना हेतु चयनित ग्रामों में पेयजल व्यवस्था :

राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना नियद नेल्लानार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में किये गये कार्यों का विवरण :

1. कैम्पों की संख्या – 78
2. चयनित ग्राम – 494
3. कुल परिवारों की संख्या – 37,652
4. कुल स्थापित क्रियाशील हैण्डपंप – 4091
5. कुल सीपित क्रियाशील सोलर पंप – 86
6. विभागीय मशीन से नलकूप / हैण्डपंप – 163
7. जेजेएम अंतर्गत स्वीकृत योजनाएं
 - सोलर पंप स्वीकृत / पूर्ण – 1186 / 728
 - एस.व्ही.एस. स्वीकृत / पूर्ण / प्रगतिरत – 471 / 117 / 354
8. जेजेएम अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन की संख्या स्वीकृत / पूर्ण – 37652 / 12144



बीजापुर जिले के अत्यंत दुर्गम एवं पहुच विहीन ताला पाड़ा पहाड़ में जमीन से लगभग 1400 फीट ऊचाई पर स्थित सुरक्षा कैंप में दो स्टेज पंपिंग एवं जनरेटर के माध्यम से जल प्रदाय



बीजापुर जिले के अत्यंत दुर्गम एवं पहुच विहीन ताला पाड़ा पहाड़ जमीन से लगभग 1400 फीट ऊचाई पर स्थित कैंप में दो स्टेज पंपिंग एवं जनरेटर के माध्यम से जल प्रदाय कार्य हेतु माननीय उप-मुख्य मंत्री, छ.ग. शासन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री राहुल नाग, सहायक अभियंता को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

5. विभागीय अधोसंचना विकास के कार्य :

राज्य शासन द्वारा विभागीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः–

- नवीन मण्डल, जिला एवं उपखण्डीय कार्यालय भवन का निर्माण – 15
- जिला एवं उपखण्डीय जल परीक्षण प्रयोगशाला भवन का निर्माण – 08
- राज्य एवं जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन – 07

6. सूचना प्रौद्योगिकी :

सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्गत इन्फार्मेशन तथा कम्युनिकेशन टूल्स (आइसीटी) का उपयोग करके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का एक डेश बोर्ड बनाया जा रहा है। इस डेश बोर्ड के अंतर्गत जलगुणवत्ता की जांच हेतु सभी जिलों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक तकनीकों की सुविधा उपलब्ध कराना एवं डेश बोर्ड के माध्यम से राज्य के सभी जिला, विकासखण्ड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर विलेज प्रोफाइल तैयार की जायेगी जिसके साथ ही ग्रामवासियों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बंध में शिकायत निवारण प्रणाली एवं शिकायतों के निराकरण हेतु मोबाइल एप विकसित किया जायेगा।

7. संचालन एवं संधारण :

राज्य बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित आयरन रिमूव्हल प्लांट, फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट एवं आर.ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस) प्लांट के संधारण कार्य किये जाते हैं। इसी कम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों का विशेष संधारण कार्य, पेयजल स्रोतों का निर्जीवीकरण, प्लेटफार्म मरम्मत एवं राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्य प्रावधानित है।

प्रति वर्ष विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु में 1 अप्रैल से 30 जून की अवधि में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये सुधार योग्य बिगड़े हैण्डपम्पों के संधारण हेतु लगातार अभियान चलाया जाता है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त मजदूर और संधारण वाहन के माध्यम से हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। विभाग के द्वारा हर वर्ष चलाए जा रहे इस अभियान से प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में लगातार सुधार हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार कमशः रू. 15,000 एवं रू. 5,000 के वार्षिक अनुदान, दो समान किस्तों में ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।

(ब). नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप में होता है। योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। प्रगतिरत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रगतिरत् योजनाएं :

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	रिमार्क
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	552.97 पुनरीक्षित	पूर्ण। हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
2	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़ आवर्धन जलप्रदाय योजना	2085.47 द्वितीय पुनरीक्षित	पूर्ण। हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।
3	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2463.85 द्वितीय पुनरीक्षित	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
4	राजनांदगांव	डोंगरगांव	डोगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना	1284.81 पुनरीक्षित	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
5	सक्ती	सक्ती	नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	532.29 पुनरीक्षित	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
6	जांजगीर–चांपा	बम्हनीडीह	सारागांव नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	361.17 पुनरीक्षित	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
7	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना	4643.14 द्वितीय पुनरीक्षित	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
8	बेमेतरा	साजा	थानखम्हरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	638.32 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
9	रायपुर	धरसींवा	खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	2657.52 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
10	सक्ती	चंद्रपुर	डभरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1139.68	प्रगतिरत
11	सारंगढ़–बिलाईगढ़	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2553.72 पुनरीक्षित	प्रगतिरत

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	रिमार्क
12	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	बरमकेला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1684.25 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
13	सारंगढ़–बिलाईगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	4746.79 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
14	बलौदाबाजार – भाटापारा	कसडोल	पलारी आवर्धन जलप्रदाय योजना	1543.97 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
15	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1894.10 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
16	बालोद	डौंडीलोहारा	दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	4363.28 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
17	बिलासपुर	कोटा	कोटा आवर्धन जल प्रदाय योजना	2406.23 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
18	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1801.04 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
19	कोरबा	तानाखार	पाली आवर्धन जलप्रदाय योजना	990.29 पुनरीक्षित	प्रगतिरत
20	कोरबा	कटघोरा	छुरीकला आवर्धन जल प्रदाय योजना	1879.37 द्वितीय पुनरीक्षित	प्रगतिरत
21	कांकेर	भानुप्रतापपुर	चारामा नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना	1975.11 पुनरीक्षित	प्रगतिरत



कोतबा नगर की आवर्धन जलप्रदाय योजना अंतर्गत निर्मित पैकेज्ड जल शुद्धिकरण संयंत्र, जिला जशपुर

3.2 केंद्र प्रवर्तित योजनाएं :

केन्द्रीय वित्त पोषित पेयजल योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) :

क. हर घर जलः दिनांक 01.04.2019 से भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ''जल जीवन मिशन'' कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में पूर्व से कियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के समस्त घटकों को समाहित कर दिया गया है।

15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में ''जल जीवन मिशन'' की घोषणा की गई है। जिसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में ''हर घर नल से जल'' उपलब्ध कराया जाना है।

उद्देश्य :- प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को किफायती सेवा, न्यूनतम जल शुल्क प्रभार के बदले, नियमित और दीर्घकालीन आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना, ताकि ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सके।



ग्राम- कठवा, विकासखण्ड मैनपुर, जिला गरियाबंद
(विशेष पिछड़ी कमार जनजाति)

ख. संस्थागत तंत्र :-

i. **राष्ट्रीय स्तर** - राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एन.जे.जे.एम.) एक निदेशालय के रुप में कार्य करेगा। इस मिशन के पास ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालिक पेयजल उपलब्ध कराकर मिशन का सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सभी शक्तियां होगी।

ii. **राज्य स्तर** - राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समन्वय और नीतिगत मार्गदर्शन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) का गठन किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) के सदस्य सचिव है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसायटी के रुप मे पंजीकृत है। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) को समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार प्रदान की गई है।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) में (i) शीर्ष समिति (ii) कार्यकारिणी समिति है।

(i) **शीर्ष समिति-** शीर्ष समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव एवं सदस्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव हैं।

(ii) **कार्यकारिणी समिति-** कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं सदस्य सचिव प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

iii. **जिला स्तर** - जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) के अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी है।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु एकल/समूह में ग्राम की नलजल योजना/रेट्रोफिटिंग कार्यों (ग्राम के अंदर के कार्यों) का एकल/समूह में निविदा के माध्यम से कियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों–सर्वे, डीपीआर, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा प्रकरण के निराकरण, अनुबंध करने, कार्यादेश जारी करने एवं कियान्वयन करने संबंधित समस्त अधिकार एवं रु. 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा गया है।

iv. **ग्राम पंचायत स्तर** - ग्राम जल स्वच्छता समिति (व्ही.डब्ल्यू.एस.सी.) अंतःग्राम जल आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख–रखाव हेतु प्रत्येक पंचायत में गठित है। हर ग्रामीण घर में घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराना समिति की मुख्य भूमिका है।

ग्राम सभा संकल्प और सामुदायिक योगदान के माध्यम से प्रतिबिम्बित समुदाय की तत्परता, गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने के कार्य भी समिति द्वारा किया जाता है। संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रुप में समिति कार्य करती है।

v. **कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आई.एस.ए.)-**

गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों/महिला स्व–सहायता समूहों को आईएसए के रूप मे कार्य करते हैं। वे अंतःग्राम आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, डिजाईन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख–रखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने और साथ लाने में भागीदार के रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी. डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, आदि के क्षेत्र में काम करने वाले उपयुक्त जिलेवार गैर–सरकारी संगठनों की नियुक्तियॉ की गई है।

vi. **जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए नोडल विभाग -**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल जीवन मिशन के कार्यों के कियान्वयन हेतु नोडल विभाग है।

vii. **सेक्टर साझेदार -**

सेक्टर साझेदार के रुप में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां (यूनिसेफ) एवं गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यरत है।

ग. वित्तीय आयोजना -

(1) **कव्हरेज मद -** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 93 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद के अंतर्गत ग्राम/बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के कार्य किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जलगुणवत्ता जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं भारी तत्व (हैवी मेटल) से प्रभावित बसाहटों में शुद्व पेयजल व्यवस्था करने का भी प्रावधान हैं। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 एवं सामुदायिक अंशदान 10/5 प्रतिशत है।

(2) **सपोर्ट मद** :- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। सपोर्ट मद के अंतर्गत योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य आदि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

(3) **जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मद -** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 2 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशाला हेतु उपकरण एवं केमिकल्स की आपूर्ति, फील्ड

टेस्ट किट का क्रय, जल परीक्षण से संबंधित रसायनों का क्रय तथा जलगुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।



उप-खण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला बोडला, जिला कबीरधाम

समुदाय का अंशदान-

i. योजना के लागत में अंशदान (पूंजीगत व्यय)-

क. सामान्य क्षेत्र में इन विलेज वाटर सप्लाई संरचना के लिए 10 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम के रूप में प्रावधानित है।

ख. 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु 5 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम के रूप में प्रावधानित है।

ग. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत अंशदान है।

घ. अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान या दान के मामले में, शेष राशि, 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत (जैसा भी मामला हो), समुदाय का अंशदान है।

च. समुदाय, मूल मॉडल से अधिक सेवा प्रदाय की योजना बना सकता है, इस शर्त के अधीन कि मूल मॉडल से परे, पूरी लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।

ii. योजना के संचालन-संधारण हेतु अंशदान (संचालन संधारण व्यय)-

क. संबंधित राज्यों के द्वारा नल कनेक्शन शुल्क, जल–कर दरें एवं अन्य शुल्क निर्धारण करने तथा करों की वसूली का अधिकार पंचायतों को सौपे जाने की कार्यवाही प्रावधानित है।

ख. योजना की लागत का 10 प्रतिशत राशि संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुदान पारितोषक के रूप में प्रदान की जावेगी जिसका उपयोग योजना के आकस्मिक संचालन एवं संधारण में किया जावेगा जिसकी भरपाई समुदाय के द्वारा जल कर से किया जावेगा, जो रिवाल्विंग फंड के रूप में रहेगा।

घ. योजनाएं एवं कियान्वयन :-

योजनांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में एक कियाशील घरेलू नल कनेक्शन, जिसके माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, निर्धारित गुणवत्ता का दीर्घकालिक आधार पर नियमित जलप्रदाय किफायती शुल्क पर दिया जावेगा। इसके लिये निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के तहत गांव के भीतर स्रोत के विकास सहित जल आपूर्ति अधो–संरचना का निर्माण करके प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करना है :–

1. अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन. आर.डी.डब्ल्यू.पी) के तहत चल रही योजनाओं के रेट्रोफिटिंग।
2. पूर्ण हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को जल जीवन मिशन के अनुकूल बनाने के लिए उनकी रेट्रोफिटिंग।
3. निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भूजल / सतही स्रोत वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
4. शोधन की आवश्यकता वाले किंतु पर्याप्त भूजल वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
5. जलग्रिड / क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के साथ समूह जलप्रदाय योजना।
6. एकांत / जनजातीय छोटे गांवों / बसाहटों में लघु सौर ऊर्जा आधारित पाइप जल आपूर्ति।

च. जल जीवन मिशन के तहत एकीकृत जल बंधन और आपूर्ति :-

स्त्रोत सुदृढ़ीकरण / संवर्धन, सभी सार्वजनिक भवनों पर वर्षा जल संचयन, बोरवेल रिचार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्त्रोत स्थिरता हेतु मनरेगा, एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना (आई. डब्ल्यू.एम.पी.), वित्त आयोग के अनुदान, राज्य योजना, एमपी लेड, एमएलए लेड, सीएसआर आदि मदों के अभिसरण से बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्माण एवं पुनर्जिवीकरण।

I. अपशिष्ट जल प्रबंधन।

ii. अपशिष्ट जल संवहन एवं संकलन हेतु नालियों का निर्माण ।

iii. सामुदायिक सोख्ता गड्ढा / अपशिष्ट स्थिरीकरण हेतु टैंको का निर्माण।

छ- सहायक गतिविधियाँ :-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जेजेएम) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5: अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं–

i. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :-

प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस.एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट सामाग्रियों का वितरण, सम्मान समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ।



जल जीवन मिशन अंतर्गत जल अर्पण दिवस समारोह जिला दंतेवाड़ा

ii. **सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण :-**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

iii. **मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियाँ :-**

उपखण्ड़ स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियाँ, लोक शिकायत निदान पद्धति एवं उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित एच.जी.एम. मैप की सहायता से भूगर्भीय जल स्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल स्रोतों का जी.आई.एस. मैपिंग एवं आँकड़ों के संकलन का कार्य, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ आदि।

ज. विविध गतिविधियां :-

(क) स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन एवं सम–सामयिक अनुश्रवण।

(ख) प्रदान किये गये घरेलू नल कनेक्शनों एवं उनकी पुष्टि के आधार पर राशि जारी किया जाना।

(ग) ग्राम में एफ.एच.टी.सी. से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के जल प्रदाय को डाटा को आईओटी/आई–क्लाउड से पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत मानिटरिंग किया जाना।

(घ) डिजिटल तकनीक का वृहद उपयोग।

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन :-

(अ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य -

जल जीवन मिशन/अभिसरण के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में निम्नानुसार है:–

विवरण	संख्या	रनिंग वॉटर युक्त	प्रतिशत
शाला	46,280	43,980	95
आंगनबाड़ी	45,731	41,722	91
आश्रमशाला	2,466	2,466	100
ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र	5,357	5,244	98
ग्राम पंचायत भवन	10,904	6,803	62



ग्राम- ढोलसरई, विकासखण्ड मैनपुर, जिला- गरियाबंद

(ब) ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कार्य :-

राज्य में कुल 49.97 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में नलजल योजना कियान्वित कर (रेट्रोफिटिंग, एकल नलजल प्रदाय योजना एवं सोलर आधारित जलप्रदाय योजनाएं) 8.99 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कर लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

जिलेवार स्वीकृत रेट्रोफिटिंग/एकल/सोलर आधारित/योजनायें:-

(रू. लाख में)

स. क.	जिला	ग्रामों की संख्या	एकल			रेट्रोफिटिंग			सोलर		
			योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच. टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच. टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच. टी.सी.
1	बालोद	690	203	23686.1	59933	409	53010.5	89448	87	2931.18	4776
2	बलौदा–बाजार	736	212	28048.76	90338	543	64688.8	116848	45	1719.94	2242
3	बलरामपुर–रामानुजगंज	635	116	10471.76	21559	1606	106119.59	146176	409	21243.57	24252
4	बस्तर	616	210	24361.63	66627	246	27542.54	50128	174	25629.68	36153
5	बेमेतरा	688	290	21650.26	62805	378	42919.68	84945	58	1605.04	5246
6	बीजापुर	565	38	1918	5261	41	2811.7	3822	495	40182.43	39574
7	बिलासपुर	668	243	25595.14	91642	496	40847.54	101149	170	6365.06	11896
8	दंतेवाड़ा	225	2	202.1	546	62	6245.74	9739	226	24918.45	42484
9	धमतरी	622	260	24500.76	76613	303	23378.15	38532	158	5579.81	6594
10	दुर्ग	385	219	22857.92	73507	156	18309.8	40807	12	562.02	639
11	गरियाबंद	666	183	19330.17	46413	446	33397.9	72001	244	7152.83	11496
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	222	127	7135.21	22047	259	21015.91	50104	177	5053.2	10546
13	जांजगीर–चांपा	425	138	24803.65	69287	253	40716.61	89521	195	7297.38	13178
14	जशपुर	755	112	5810.07	20666	2727	112666.13	155185	495	17110.11	24142
15	कबीरधाम	959	240	22468.12	72244	548	62555.13	95454	195	8206.25	8779
16	कांकेर	1066	158	16126.25	40505	778	67639.22	86258	364	15391.6	17661

स. क.	जिला	ग्रामों की संख्या	एकल			रेट्रोफिटिंग			सोलर		
			योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच. टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच. टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच. टी.सी.
17	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	439	128	9762.16	19816	197	14669.63	30946	129	4916.46	5707
18	कोंण्डागांव	571	85	13001.92	33666	473	56242.52	79692	70	3350.12	5992
19	कोरबा	703	93	11464.18	46255	686	68932.97	132711	396	11523.66	18792
20	कोरिया	243	66	5415.45	16436	200	11875.89	23488	340	9916.65	13040
21	महासमुंद	1119	264	23357.18	72808	839	66485.4	146290	27	803.56	2103
22	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	392	81	7411.71	17003	400	24769.47	48894	246	8062.8	10612
23	मोहला–मानपुर–अचौंकी	492	94	6130.88	16189	180	13297.23	22600	226	12323.84	17888
24	मुंगेली	673	125	15838.68	55351	468	46196.27	101321	107	3556.03	6710
25	नारायणपुर	378	23	1663.47	3444	17	535.53	264	382	27169.88	23336
26	रायगढ़	919	390	30109.84	86860	567	44888.21	101508	388	17368.24	27195
27	रायपुर	477	249	33522.72	100215	221	30398.06	55101	56	2457.43	5212
28	राजनांदगांव	662	276	22937.73	54591	326	28492.26	59101	64	2386.44	3112
29	सक्ती	456	128	24059.75	51071	258	32768.75	64625	182	7257.54	11730
30	सारंगढ़–बिलाईगढ़	706	116	17121.23	48077	536	45854.33	100387	75	2387.64	3732
31	सरगुजा	569	114	9344.54	24197	1440	86360.01	141558	528	15771.32	14125
32	सुकमा	391	50	5551.26	12182	88	8863.07	14192	300	20968.1	29829
33	सूरजपुर	543	120	13912.05	47266	383	43449.07	111729	470	19184.62	22791
	कुल:–	**19656**	**5153**	**529570.65**	**1525420**	**16530**	**1347943.61**	**2464524**	**7490**	**360352.88**	**481564**

लक्षित कार्यों की पूर्ति हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत दिनांक 31.12.2025 तक 40,88,221 घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है:-

कमांक	जिला	कुल ग्रामीण परिवार (01.04.2025 की स्थिति में)	लाभान्वित ग्रामीण परिवार (31.12.2025) की स्थिति में
1	बालोद	176198	154035
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	228370	189035
3	बलरामपुर–रामानुजगंज	197308	144376
4	बस्तर	171885	143667
5	बेमेतरा	177538	155906
6	बीजापुर	56204	33046
7	बिलासपुर	246155	182366
8	दंतेवाड़ा	50731	40774
9	धमतरी	154784	153845
10	दुर्ग	154934	138711
11	गरियाबंद	154733	136087
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	84901	68729
13	जांजगीर–चांपा	207286	187559
14	जशपुर	214361	145689
15	कबीरधाम	198917	168553
16	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	74259	62924
17	कोंण्डागांव	126576	103323
18	कोरबा	207076	147940
19	कोरिया	51764	37968
20	महासमुंद	240716	201884
21	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	83345	60434
22	मोहला– मानपुर–अ.चौकी	64568	49065
23	मुंगेली	167829	148875
24	नारायणपुर	33009	22086
25	रायगढ़	242253	204811
26	रायपुर	189755	182036
27	राजनांदगांव	156789	141710
28	सक्ती	156245	137601
29	सारंगढ़–बिलाईगढ़	161727	138705
30	सुकमा	66128	46776
31	सूरजपुर	164515	115273
32	सरगुजा	185443	130846
33	कांकेर	151157	113586
	योग–	4997459	4088221

जलापूर्ति : नदी और बारिश के पानी में रहना पड़ता था निर्भर

पहाड़ों की तलहटी में बसे कोरली के 42 घरों में पहुंचा पानी

पत्रिका लोकल स्पॉट लाइट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जगदलपुर . बस्तर की जीवन दायिनी इंद्रावती नदी के किनारे पहाड़ी की तलहटी में बसे 42 घरों वाले कोरली में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को जलापूर्ति किया जा रहा है। यहां गांव प्रकृति की गोद में खेल रहा है पानी और पहाड़ है और यहां पहुंचने के लिए घाटियों को पार करके जाना पड़ता है। यहां के गांव की लगभग 203 की आबादी नदी के पानी से अपनी दैनिक दिनचर्या निर्वहन कर रही थी। यहां के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती-किसानी और कनेक्शन संरक्षण कारना है खेत के काम में पुरुषों का हाथ घरेलुएं भी बंटाती हैं और घर के कामकाज सहित बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सम्भालती हैं। साथ ही घर के बाहर हैंडपंप और नदी से पानी भरने का कार्य भी वे ही करती थी, जिसके कारण शरीर में थकान और स्वभाव में बदलाव आम बात हो गया था।

ग्रामीणों की जीवन शैली में आ रहा नया बदलाव





लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड अंतर्गत कोरली गांव के सरपंच केशरकाल गौर्य बताते हैं कि गांव के लोगों को प्रत्येक कार्य के लिए नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था, बारिश के मौसम में गन्दे पानी के उपयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था। ग्रामीण बीमार पड़ते थे और इलाज के लिए अस्पताल मुख्यालय जाना कष्टप्रद था। लेकिन अब सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन ने हमारे गांव की तस्वीर बदल दी है। सरकार द्वारा सभी घरों में एक जैसा नल लगा कर एक बराबर सभी को पानी दी जा रही है। जिससे महिलाओं को अपने लिए भी समय मिल जाता है, वे खेती-किसानी में ज्यादेन करने के साथ ही कनेक्शन संरक्षण में जुटी रहती हैं।

हर घर जलापूर्ति जनसरोकार की सार्थक पहल

खेती-किसानी परिवार से जुड़ी ग्रामीण महिला सुलमी का कहना है कि घर का कोई भी कार्य बिना पानी के नहीं होता है और नदी से पानी भरने के लिए काफी दूरी तय जाना पड़ता था। बारिश में फिसली मिट्टी में पैर फिसलने जाने से बहुत चोटें आती थी। अब पानी लाना करने से, किन्तु अब यह दिन यादें बन गई हैं। चूंकि मेरे घर में सरपंच ने नल लगा दिया है, अब हमें घर पर ही शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। जिससे मन और तन दोनों खुश हैं और खेती-किसानी के लिए ज्यादा समय मिलता है।

जनसुविधा

नियद नेल्लानार योजना के तहत जल जीवन मिशन हुआ पूर्ण

ग्राम पोंगाभेज्जी में लोगों को मिल रहा है शुद्ध पेयजल

2 हजार की आबादी लाभान्वित हो रही

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सुकमा. जिले के नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र पोंगाभेज्जी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति की महत्वाकांक्षी योजना सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत हुए इस कार्य से ग्राम पंचायत के 235 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे लगभग 2 हजार की आबादी लाभान्वित हो रही है।

ग्रामीणों में इस सफलता को लेकर भारी उत्साह है। वर्षों तक हैंडपंप और दूर-दराज के जल स्रोतों पर निर्भर रहने वाले ग्रामीण अब घर बैठे नल से जल पा रहे हैं। महिलाओं ने इसे "सपना सच होने" जैसा बताया। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम पोंगुडा, दुरगुडा, रचदीपारा और पोंगाभेज्जी में 10-10 हजार लीटर की 7 सोलर पानी टंकियों का निर्माण किया गया है। साथ ही 8119 मीटर पाइपलाइन बिछाकर सभी घरों तक नल जल कनेक्शन पहुंचाया गया।



पानी की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान

जल की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं को प्रशिक्षित कर जल वाहिनी टीम का गठन किया गया है, जो नियमित रूप से पानी की जांच करती हैं।
गौरव सोनकिया, एसडीओ पीएचई सुकमा

ग्रामीणों की जुबानी

"हमारे गांव में जहां न सड़क है, न पुल-पुलिया, वहां समय पर पानी की योजना पूरी हुई, ये अपने आप में चमत्कार जैसा है। शासन-प्रशासन का आभार।"
पूनेम देवा, ग्रामीण

"पहले गर्मियों में घंटों हैंडपंप में लाइन लगानी पड़ती थी। अब घर में पानी आता है, समय की बचत हो रही है और खेती-किसानी के कामों में भी आसानी हो रही है।"
बुधी राजेश्वरी, महिला ग्रामीण

पहुंच विहीन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

पोंगाभेज्जी जैसे दुर्गम और सड़कविहीन क्षेत्र में समय पर जल जीवन मिशन का कार्य पूरा करना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सरपंच पुनेम सुमडी ने कहा कि अब हर घर में पानी पहुंचने से खासकर महिलाओं को राहत मिली है। उन्हें हैंडपंप या जलस्रोतों तक नहीं जाना पड़ता, जिससे वे अन्य घरेलू और कृषि कार्यों में समय दे पा रही हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत समूह जल प्रदाय योजनाओं का जिलेवार विवरण

स्थिति दिनांक 31.12.2025

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	एफ.एच.टी.सी. की संख्या	योजना की लागत (रू.लाख में)
1.	बलौदाबाजार–भाटापारा	गिरौदपुरी	23	17697	5649.25
2.		खर्रे	8	1654	629.81
3.		बिटकुली–रामपुर	41	11798	6155.19
4.		आगमधाम (खड़वा)	50	16618	7551.21
5.		अहिल्दा पण्डरिया	44	20367	8485.00
6.	गरियाबंद	सुपेबेड़ा	9	2074	1034.32
7.	धमतरी	सांकरा	40	18631	3145.05
8.		घटुला	36	10827	3245.26
9.	महासमुंद	समोदा–अछोला	48	12395	6658.00
10.	दुर्ग	चंदखुरी–कोलिहापुरी–पिसेगांव	31	19210	4507.37
11.		ओदरागहन–सुरपा	19	5486	2119.25
12.		जेवरा–सिरसाखुर्द–भटगांव	17	11753	2580.95
13.		निकुम	13	7443	2629.90
14.		कौही	14	6053	2004.23
15.		अंजोरा ढ़ाबा	50	13785	5965.69
16.		मोतिमपुर	57	12555	6445.89
17.	बालोद	कनेरी	28	9027	4221.00
18.		हीरापुर	57	20069	7769.00
19.		जुंगेरा	32	8780	5041.00
20.		डौण्डीलोहारा	31	11680	5500.00
21.	मोहला–मानपुर – अ.चौकी	मोंगरा	330	70121	39647.41
22.	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	बुढ़ानभाट	31	7300	2877.85
23.	राजनांदगांव	एल.बी. नगर	20	6218	2135.50
24.		माथलडबरी	12	4115	1461.54
25.	कबीरधाम	रेंगाखार	15	3556	1721.00
26.		धमकी बम्हनी	16	4235	1930.14
27.	बेमेतरा	कुम्हीगुड़ा	85	18805	11054.56
28.		अमलडीहा	72	19448	10607.93
29.		खम्हरिया	62	14356	7046.81
30.	बिलासपुर	मंगला पासिद	23	6639	3442.00
31.		हरदी–भटचौरा	21	7626	3823.17
32.		चपोरा	18	5749	3042.50
33.		भैसाझार–मोहनभाठा–खम्हरिया	31	14067	7327.56

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (रू.लाख में)
34.	मुंगेली	मदकू	34	8433	4351.54
35.		खुड़िया	206	59612	29011.99
36.	जांजगीर–चांपा	केरा	19	12407	5944.00
37.		पामगढ़	13	10567	4223.00
38.	सारंगढ़–बिलाईगढ़	भद्रा–रीवापार	84	27570	10159.32
39.		घोठला–छोटे हरदी	69	18637	6875.24
40.		बरगांव–कंचनपुर	102	26169	9834.32
41.	रायगढ़	भेलवा टिकरा–सम्बलपुरी	29	6924	3665.00
42.		कलमा–कोड़ातराई	58	15202	5804.00
43.		तमनार	54	18134	9127.81
44.	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	बसंतपुर–जटादेवरी	16	5457	2347.07
45.	कोरबा	एतमा नगर	245	72619	43196.88
46.	सूरजपुर	बिहारपुर	19	7961	2835.40
47.		खर्रा–इन्दरपुर	19	4326	2044.47
48.		गांगीकोट–केनापारा	25	7248	3113.99
49.		हर्राटिकरा–2	8	2652	1416.87
50.		रूनियाडीह	26	10199	3755.40
51.		दुग्गा–बतरा	16	6355	2784.34
52.		झिलमिली	55	22007	6616.19
53.		बड़वार	21	5556	2642.77
54.		बगड़ा–केरता	28	8866	4539.93
55.		सारासौर	52	17189	7181.07
56.		रामानुजनगर–प्रेमनगर–नवगई (बांगो)	144	55314	27947.44
57.	कोरिया	कटघोड़ी	35	6539	2935.85
58.		बरदर	27	7484	4054.18
59.		नरकेली	24	4748	2472.79
60.		तामडांड	30	9299	4760.37
61.	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	लाई	20	4288	2043.42
62.		खरलाधार	30	4042	1642.49
63.		चैनपुर	25	6271	2783.71
64.		बरदिया	43	13034	4695.52
65.		उधनापुर	29	8138	2783.68
66.		घुटरा	29	4517	2329.34
67.	सरगुजा	दरिमा– करजी	45	16081	6151.24
68.		खैरबार	32	13144	6125.80
69.		पोड़ीखुर्द–सलका	80	27575	10636.02
70.		देवीटिकरा	33	10684	5494.76
योग–			**3208**	**985385**	**445782.55**



लाई समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत निर्मित इंटेकवेल
जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

जल जीवन मिशन के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

भौतिक प्रगति :

1.	31 मार्च 2021 की स्थिति में उपलब्ध कनेक्शन	5,66,473
2.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन	4,45,107
3.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन	10,80,547
4.	वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन	18,04,920
5.	वित्तीय वर्ष 2024 –25 में उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन	1,43,133
6.	वित्तीय वर्ष 2025 –26 में उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2025)	48,041
7.	31.12.2025 तक कुल उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन	40,88,221

हर घर जल प्रमाणित ग्रामों की जिलेवार जानकारी:-

क्रमांक	जिला	कुल ग्रामों की संख्या	हर घर जल ग्रामों की संख्या	
			घोषित	प्रमाणित
1	बालोद	690	208	186
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	736	238	208
3	बलरामपुर–रामानुजगंज	635	55	50
4	बस्तर	616	96	64
5	बेमेतरा	688	276	231
6	बीजापुर	565	89	81
7	बिलासपुर	668	78	65
8	दंतेवाड़ा	225	58	38
9	धमतरी	622	602	467
10	दुर्ग	385	143	112
11	गरियाबंद	666	199	193
12	गौरेला– पेण्ड्रा– मरवाही	222	50	45
13	जांजगीर–चांपा	425	175	152
14	जशपुर	755	59	49
15	कबीरधाम	959	280	239
16	खैरागढ़– छुईखदान–गंडई	439	133	105
17	कोंण्डागांव	571	112	91
18	कोरबा	703	127	107
19	कोरिया	243	32	31
20	महासमुंद	1119	263	203
21	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	392	21	20
22	मोहला–मानपुर–अ.चौकी	492	135	120
23	मुंगेली	673	170	147
24	नारायणपुर	378	66	59
25	रायगढ़	919	290	208
26	रायपुर	477	406	267
27	राजनांदगांव	662	211	164
28	सक्ती	456	192	156
29	सारंगढ़–बिलाईगढ़	706	339	293
30	सुकमा	391	71	66
31	सूरजपुर	543	42	37
32	सरगुजा	569	70	61
33	कांकेर	1066	189	145
	योग–	**19656**	**5,475**	**4,460**



ग्राम- चनाभाठा, विकासखण्ड मैनपुर, जिला- गारियाबंद

भौतिक रूप से पूर्ण योजनाएं तथा ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित योजनाएं-

स.क.	जिला	कुल योजनाओं की संख्या	भौतिक रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	पंचायत विभाग को हस्तांतरित योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	अंबिकापुर	2082	335	194
2	बैकुंठपुर	606	315	97
3	बालोद	699	123	121
4	बलौदाबाजार	800	172	170
5	बलरामपुर	2131	258	246
6	बस्तर	630	88	80
7	बेमेतरा	726	186	167
8	बीजापुर	574	69	68
9	बिलासपुर	909	216	73
10	दंतेवाड़ा	290	32	30
11	धमतरी	721	428	386
12	दुर्ग	387	136	106
13	गरियाबंद	873	418	193
14	गौरेला पेंड्रा मरवाही	563	191	83
15	जांजगीर–चांपा	586	153	103
16	जशपुर	3334	1073	1063
17	कांकेर	1300	183	145
18	कवर्धा	983	266	161
19	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	454	141	90
20	कोंडागांव	628	217	71

स.क.	जिला	कुल योजनाओं की संख्या	भौतिक रूप से पूर्ण योजनाओं की संख्या	पंचायत विभाग को हस्तांतरित योजनाओं की संख्या
21	कोरबा	1175	357	121
22	महासमुंद	1130	283	163
23	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	727	37	34
24	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	500	81	45
25	मुंगेली	700	121	100
26	नारायणपुर	422	55	47
27	रायगढ़	1345	348	206
28	रायपुर	526	430	229
29	राजनांदगांव	666	107	56
30	सक्ती	568	221	151
31	सारंगढ़–बिलाईगढ़	727	277	207
32	सुकमा	438	118	102
33	सूरजपुर	973	339	47
योग–		**29173**	**7774**	**5155**

सोलर आधारित जलप्रदाय योजना-

राज्य की ग्रामीण बसाहटें जो वनांचल/पहाड़ी बसाहटें/विरल हैं जहां नल जल योजना के क्रियान्वयन में लागत अधिक आती है वहां सोलर आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन जलजीवन मिशन अंतर्गत किया जा रहा है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना में सोलर पंप स्थापना हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना अंतर्गत दिसम्बर 2025 की स्थिति में 7489 सोलर योजनायें स्थापित कर कुल 4,75,231 ग्रामीण परिवार, कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित किये गये।



बीजापुर जिले के ग्राम आडेढ में निर्मित
सोलर आधारित जल प्रदाय योजना

जलगुणवत्ता अनुश्रवण :

पेयजल गुणवत्ता की अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के जिलों के समस्त पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन, सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक स्त्रोत की डिजिटल जी.आई.एस. मैपिंग के कार्य प्रगतिरत् है।



ग्रामीणों द्वारा पेयजल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य ग्राम टेकनार विकासखण्ड दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा

राज्य में एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में कार्यरत है। जहॉ जल नमूनों में मौजूद हैवी मेटल के 25 तत्वों (टोटल आर्सोनिक, बेरियम, बोरान, कापर, सिल्वर, जिंक, कैडियम, लेड, पारा, निकल, क्रोमियम, आयरन, मैगनीज एवं यूरेनियम सहित अन्य) तथा अन्य तत्व जैसे फ्लोराइड, नाइट्रेट, मैग्नीशियम, सल्फेट, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम एवं टी.डी.एस. आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है साथ ही जीवाणु परीक्षण (माइक्रोबायोलजिकल टेस्ट) के अंतर्गत टोटल कोलीफार्म एवं ई–कोलाई के भी जॉच किये जाते हैं।

मीडिया संवाद

02 जनवरी, 2025 - गुरुवार

जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री उतरे फील्ड पर

अगमधाम खंडवा मल्टी विलेज योजना से 50 गांवों में पहुंचेगा पेयजल



गुणवता जांचने टंकी पर चढ़े उपमुख्यमंत्री साव

निरीक्षण ● घरों में जाकर देखी पानी की धार, शिल्पा के सहयु, भाटापारा के अगमधाम-खंडवा पहुंचे





पक्षवाय एनीकट और किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया

जल जीवन मिशन कार्यों की जांच में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरूण साव





उप-मुख्यमंत्री कार्यालय, (छत्तीसगढ़ शासन)

मा. श्री अरूण साव जी

जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था को निर्बाध आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक ,सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए जल जीवन मिशन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय नीति संवाद में माननीय उप–मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री अरूण साव ने राष्ट्रीय नीति संवाद को संबोधित किया, संवाद की अध्यक्षता माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री सी. आर. पाटिल और माननीय केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह ने की। श्री अरूण साव जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बढ़ी संख्या में पेयजल योजनाएं ग्राम पंचायतों को सौपी गयी है। इनकी सफलता पंचायतों की सकिय भूमिका, स्थानीय सहभागिता और तकनीकी सहयोग पर निर्भर करती है। संचालन और अनुरक्षण का मॉडल मजबूत होने पर ही हर घर तक सुरक्षित पानी की निरंतर आपूर्ति हो सकेगी।

जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय नीति संवाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साव बोले-

निर्बाध आपूर्ति के लिए पेयजल योजनाओं का प्रभावी संचालन जरूरी

व्यवस्था को दीर्घकालिक, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए गहन विचार-विमर्श



चुनौतियों तथा उपलब्धियों की दी जानकारी

व्यावहारिक अनुभवों एवं सुझावों पर भी गहन चर्चा

रायपुर 29-01-2026

योजनाओं का संचालन पंचायतों की सहभागिता पर निर्भर: साव



जिला जल परीक्षण प्रयोगशाला जिला कबीरधाम

राज्य में एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं, जो एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त है। राज्य में 33 जिलों में से 29 जिलों में जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिसमें से अद्यतन में कुल 28 जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाएं एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त है।

राज्य में 27 उपखण्ड स्तरीय जलपरीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं जिसमें से 18 उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल. से संबद्धता (रिकनाईज्ड) प्राप्त कर ली गयी है। साथ ही 1 विकास खण्ड जलपरीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं तथा 18 चलित जल परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक ग्राम की 5–5 महिलाओं को इस प्रकार कुल 1,04,935 (जल बहिनी) को प्रशिक्षण प्रदाय किया जाकर पेयजल परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।



जल बहिनियों द्वारा पेयजल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य
ग्राम बिन्झाम, विकासखण्ड गीदम, जिला दंतेवाड़ा

जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्र:

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधनों की कार्य कुशलता में वृद्वि एवं प्रयोगशाला के संसाधनों को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु राज्य स्तर पर संसाधन केन्द्र कार्यरत् हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) की गतिविधियाँ :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों में 60 संस्थाओं के कुल 260 टीम को जल जीवन मिशन से सम्बंधित कार्यों के क्रियान्वयन में लगाया गया है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पी.आर.आई. प्रशिक्षण एवं आई.ई.सी. गतिविधियाँ, व्ही.डब्ल्यू.एस.सी. की बैठकों का आयोजन तथा समुदायों के बीच जन जागरूकता अभियान एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.) :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.), जिला स्तर पर 33 जिलों में 19 संस्थाएं एस.व्ही.एस. के लिए तथा 03 संस्थाएं एम.व्ही.एस. के लिए, कुल 81 टीम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्बंधित कार्यों के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

सोशल मीडिया प्रचार-प्रसार :

जल जीवन मिशन अंतर्गत बीते एक वर्ष में आई.ई.सी. के तहत कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन जिला एवं ग्राम–पंचायत स्तर पर सामुदायिक सहभागिता के साथ किया गया है। जो निम्नलिखित हैं :

- जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा प्रत्येक माह को जिलों के वैसे ग्राम जो शत–प्रतिशत एफ.एच.टी.सी. से आच्छादित हो चुके हैं, उन सभी ग्रामों को संबंधित ग्राम–पंचायत द्वारा विशेष ग्राम–सभा/जल उत्सव आयोजित कर ''हर घर जल ग्राम'' प्रमाणित किया जा रहा है।

- जल सभा का आयोजनः जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता, जल परीक्षण तथा स्वास्थ्य पर इसके होने वाले प्रभाव और जल संरक्षण के मुद्दों के साथ–साथ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम स्तर पर निर्मित बुनियादी ढांचे के रख–रखाव में समुदायों की भूमिका और जल उपयोग हेतु शुल्क वहन आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु ग्राम–पंचायत स्तर पर ''जल सभा'' आयोजित कराया जाता है।

- दिनांक 01 से 31 मार्च 2025 तक एक माह का "महिला–जन–जल–जागरूकता– अभियान" का क्रियान्वयन राज्य के सभी ग्राम व पंचायत स्तर पर किया गया इस अभियान के दौरान ग्राम–पंचायत स्तर पर मुख्य रूप से महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाने एवं महिलाओं के के द्वारा पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में किये गये योगदान व उत्कृष्ठ कार्यों को सराहने तथा स्थानीय लोगों को जल प्रबंधन, संरक्षण, गुणवत्ता और पेयजल आपूर्ति की स्थिरता को लंबे अवधि तक बनाये रखने तथा निरंतर इसके संचालन व संधारण आदि के महत्व को प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक किया गया।

- 22 मार्च, 2025 को जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम–पंचायत स्तर पर विश्व जल दिवस मनाया गया, जहाँ सामुदायिक सहभागिता से ग्राम के पेयजल स्रोतों की साफ–सफाई कराई गई, स्थानीय लोगों को पानी के विवेक पूर्ण एवं सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया गया।

• 8 अप्रैल, 2025 से 23 अप्रैल, 2025 तक आयोजित "पोषण पखवाड़ा– 2025" के दौरान, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण परिवारों के मध्य शुद्ध पेयजल के उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा पोषणयुक्त आहार को दैनिक जीवनशैली और व्यवहार में समाहित करने के महत्व पर विशेष बल दिया गया। इस अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को पोषणयुक्त आहार के सेवन से महिलाओं, बच्चों, और पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों से अवगत कराया गया । पखवाड़े के दौरान, राज्य भर में लगभग 968 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, प्रभात फेरियाँ निकाली गईं, पोषण चौपालों का आयोजन हुआ, ग्राम के जल–स्रोतों का गहन परीक्षण किया गया, आंगनवाड़ी केन्द्रों की महिलाओं ने घर–घर जाकर पोषण संबंधी जागरूकता फैलाई, तथा विद्यालयों में पोषण कक्षाओं एवं शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर स्वच्छता एवं सफाई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया । सभी हितधारकों के सक्रिय सहयोग से राज्य भर में कुल 5,90,052 जागरूकता गतिविधियाँ को ग्रामों, विद्यालयों, और आंगनवाड़ी केन्द्रों में सफलतापूर्वक आयोजित की गईं, जिनमें 1,02,317 महिलाओं, 11,546 युवाओं, 3,25,085 बच्चों, और 6,779 अन्य स्थानीय व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस पखवाड़े को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

• दिनांक 05 मई से 05 जून 2025 तक 01 माह का "ग्राम–जल–जागरूकता" अभियान" का क्रियान्वयन दृ जल जीवन मिशन अंतर्गत सभी ग्रामों में आयोजित किया गया, इस अभियान के दौरान ग्राम–पंचायत स्तर पर पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी, गुणवत्ता जाँच व संचालन और रखरखाव (O&M) आदि पर कार्य कर रही इकाई – पानी समिति (VWSCs), निगरानी समिति, ग्राम–पंचायत, आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य केन्द्रों, विद्यालय व आश्रम शालाओं आदि को प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक एवं सशक्त किया गया एवं उत्कृष्ट कार्यों को स्थ ानीय समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पेज पर प्रकाशित किया गया ।

• जिलों के ग्राम–पंचायतों में जल संरक्षण अभियान ''करें जल संरक्षण और बने जल प्रेरक'' का कियान्वयन स्थानीय लोगों के सहभागिता से जहाँ ग्राम के पेयजल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन सहित वर्षा जल के संचयन तथा भू–जल पुनर्भरण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों एवं निकायों/संस्था को पंचायत स्तर पर जोड़ते हुये सम्पूर्ण जल प्रबंध एवं संवर्धन से संबंधित प्रचार–प्रसार कार्य किये जा रहे हैं।

• ग्राम–पंचायतों में जल संरक्षण, गन्दले–पानी का उचित प्रबंधन तथा वर्षा जल संचयन इत्यादि गतिविधियों/कार्यों के बारे में स्थानीय लोगों/जन–समुदायों को 'जल चौपाल' का आयोजन कर जागरूक किया गया।

• 20 जून से 31 जुलाई, 2025 तक ''स्टॉप डायरिया अभियान'' का कियान्वयन जिलों द्वारा ग्राम–पंचायत स्तर पर किया गया, जहाँ व्ही.डब्ल्यू.एस.सी. की बैठकें एवं 736 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, राज्य के कुल 1,45,069 लोगों ने इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया एवं जल बहिनी के सहयोग से कुल 1752 एफ.टी.के. टेस्ट ग्राम स्तर पर किये गए तथा कुल 10526 पेयजल नमूनों की गुणवत्ता जाँच की गई।

• जिले एवं ग्राम–पंचायत स्तर पर आगनबाड़ी केन्द्रों व शालाओं में जल जागरूकता रैली का आयोजन कर जल संरक्षण के बारे में महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया।

• माननीय उप–मुख्य मंत्री, छ.ग. शासन द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी, प्रचार प्रसार तथा विभाग द्वारा विगत दो वर्षों में पेयजल के क्षेत्र में हासिल की गयी उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गयी।



3.4 वित्तीय प्रगति :-

- वित्तीय प्रगति :–

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 उपलब्ध राशि एवं व्यय (राशि रू. करोड़ में)

स. क.	अवयव	प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01.04.2024 की स्थिति)	प्रावधानित राशि	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय (दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में ई–वर्क्स रिपोर्ट के आधार पर)	प्रतिशत व्यय	शेष राशि
1	केन्द्रांश	453.46	0.0007 (Token Provision)	191.59	645.05	542.74	84.14%	102.31
2	राज्यांश	368.04	4499.9993	3187.12	3555.16	2979.61	83.81%	575.55
कुल		**821.50**	**4500.00**	**3378.71**	**4200.21**	**3522.35**	**83.86%**	**677.86**

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2025–26 के लिये उपलब्ध राशि एवं व्यय (दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक) की जानकारी निम्नानुसार है :–

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में (राशि रू. करोड़ में)

स. क.	अवयव	प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में)	प्रावधानित राशि	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल अद्यतन व्यय (दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में ई–वर्क्स रिपोर्ट के आधार पर)	प्रतिशत व्यय	शेषराशि
1	केन्द्रांश	102.31	2247.50	0.00	102.31	22.05	21.55%	80.26
2	राज्यांश	575.55	2247.50	561.41	1136.96	1096.42	96.43%	40.54
कुल		**677.86**	**4495.00**	**561.41**	**1239.27**	**1118.47**	**90.25%**	**120.80**

- इस प्रकार छततीसगढ़ राज्य आगामी शेष अवधि में जल जीवन मिशन के कार्यों का कियान्वयन द्रुतगति से कराये जाने हेतु दृढ़ संकल्पित है, जिससे आगामी लक्ष्यों की पूर्ति के साथ पूर्व के शेष लक्ष्यों की पूर्ति भी सुनिश्चित की जावेगी।

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, कियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं, एवं योजनाओं के कियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक ग्रेड–3 के 02 पद, भृत्य के 15 पद, चौकीदार के 05 पद, हेल्पर के 07 पद, प्रयोगशाला सहायक के 01 पद, समयपाल के 01 पद एवं सहायक के 02 पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया गया है।

अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर 06, कार्यपालन अभियंता (सिविल) के पद पर 14, कार्यपालन अभियंता (वि/यां) के पद पर 01, सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर 26, अधीक्षक के पद पर 01, मानचित्रकार के पद पर 04, शीघ्रलेखक के पद पर 01, सहायक ग्रेड–2 के पद पर 16, सहायक ग्रेड–3 के पद पर 05, केमिस्ट के पद पर 01, वाहन चालक के पद पर 01, दफ्तरी के पद पर 04 शासकीय सेवकों को पदोन्नति किया गया है

प्रथम समयमान 89, द्वितीय समयमान 45 एवं तृतीय समयमान 97 इस प्रकार कुल 231 शासकीय सेवकों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया।

विभाग के कार्यालयीन कार्यों को सुदृण बनाने हेतु तकनीकी अमले अनुरेखक के 34 पदों को वित्तीय वर्ष 2025–26 में नियुक्ति प्रदान किया गया है।

मानव जीवन हेतु आधारभूत आवश्यक जल की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति तथा हैण्डपंप के सुचारू संचालन–संधारण की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत विभाग में वर्ष 2025–26 में कुल 48 हैण्डपंप तकनीशियन को नियुक्ति पत्र माननीय उप–मुख्य मंत्री, छ.ग. शासन के द्वारा दिनांक 16.01.2026 को समारोह आयोजित कर प्रदान किया गया है।



माननीय उप-मुख्य मंत्री श्री अरूण साव जी द्वारा नव नियुक्त हैण्डपंप तकनीशियन को नियुक्त पत्र प्रदान करते हुए

विभाग के मैदानी स्तर पर अमले की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में उप अभियंता (सिविल) के 118 पद एवं उप अभियंता (वि/यां) के 10 पद पद पर भर्ती की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के कारण लंबित है।

राज्य की ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 12 केमिस्ट के पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है ताकि पेयजल परीक्षण का कार्य सुगमता से किया जा सके।

विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरणः-

राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्ग :

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	प्रमुख अभियंता	प्रथम श्रेणी	1	-	1
2	मुख्य अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	4	3	1
3	मुख्य अभियंता (वि/यां)	प्रथम श्रेणी	1	-	1
4	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	12	12	-
5	अधीक्षण अभियंता (वि/यां)	प्रथम श्रेणी	1	-	1
6	संयुक्त संचालक(वित्त)(प्रतिनियुक्ति)	प्रथम श्रेणी	1	1	-
7	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	42	42	-
8	कार्यपालन अभियंता (वि/यां)	प्रथम श्रेणी	6	6	-
9	कार्यपालन अभियंता (एमआईएस)	प्रथम श्रेणी	1	1	-
राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्ग :					
1	हाइड्रोजियोलाजिस्ट (प्रतिनियुक्ति)	द्वितीय श्रेणी	4	-	4
2	सहायक भू–जलविद	द्वितीय श्रेणी	1	-	1
3	सहायक अभियंता (सिविल)	द्वितीय श्रेणी	131	82	49
4	सहायक अभियंता (वि/यां)	द्वितीय श्रेणी	33	21	12
5	सहायक अभियंता (एमआईएस)	द्वितीय श्रेणी	1	-	1
6	लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	द्वितीय श्रेणी	4	3	1
7	मुख्य रसायनज्ञ	द्वितीय श्रेणी	1	1	-
8	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	1	1	-

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी :					
1	वरि.तक.सहा. (जियोलाजिस्ट)	तृतीय श्रेणी	2	-	2
2	रिंग आपरेटर	तृतीय श्रेणी	5	-	5
3	सहायक रिंग आपरेटर	तृतीय श्रेणी	5	-	5
4	ड्रिलर	तृतीय श्रेणी	10	-	10
5	फोरमेन	तृतीय श्रेणी	1	-	1
6	उप अभियंता (सिविल)	तृतीय श्रेणी	412	111	301
7	उप अभियंता (वि/यां)	तृतीय श्रेणी	130	66	64
8	मुख्य मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	1	-	1
9	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	49	7	42
10	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	53	13	40
11	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी	108	51	57
12	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	तृतीय श्रेणी	1	-	1
13	सहा.कम्प्यूटर प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	3	-	3
14	मुख्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	1	-	1
15	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	10	4	6
16	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	17	6	11
17	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	4	-	4
18	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	15	13	2
19	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	30	6	24
20	वरिष्ठ निज सहायक	तृतीय श्रेणी	1	-	1
21	निज सहायक	तृतीय श्रेणी	4	4	-
22	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	13	8	5
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	47	9	38
24	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी	43	4	39
25	सहायक केमिस्ट	तृतीय श्रेणी	1	-	1
26	वाहन चालक (वरिष्ठ)	तृतीय श्रेणी	13	6	7
27	केमिस्ट	तृतीय श्रेणी	34	18	16

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी :					
1	सुपरवाईजर	चतुर्थ श्रेणी	1	-	1
2	दफ्तरी (राज्य स्तरीय)	चतुर्थ श्रेणी	4	1	3
3	भृत्य (राज्य स्तरीय)	चतुर्थ श्रेणी	28	5	23
4	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	1	-	1
अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी :					
1	संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति)	तृतीय श्रेणी	42	37	5
2	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	207	142	65
3	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	287	150	137
4	वाहन चालक (वरिष्ठ)	तृतीय श्रेणी	95	23	72
5	प्रयोगशाला सहायक	तृतीय श्रेणी	35	13	22
6	हैण्ड पंप तकनीशियन	तृतीय श्रेणी	876	432	444
7	एयर कम्प्रेशर चालक	तृतीय श्रेणी	3	-	3
8	ट्रक चालक	तृतीय श्रेणी	28	10	18
9	फिटर	तृतीय श्रेणी	2	-	2
10	शिफ्ट ड्रायवर	तृतीय श्रेणी	1	1	-
11	मेकेनिक	तृतीय श्रेणी	13	3	10
12	टर्नर	तृतीय श्रेणी	2	-	2
13	वेल्डर	तृतीय श्रेणी	1	-	1
14	इलेक्ट्रीशियन	तृतीय श्रेणी	1	-	1
15	चालक सह सहायक	तृतीय श्रेणी	18	1	17
अराज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी :					
1	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	29	7	22
2	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	271	169	102
3	हेल्पर	चतुर्थ श्रेणी	16	13	3
4	लाईनमेन	चतुर्थ श्रेणी	2	-	2
5	क्लीनर	चतुर्थ श्रेणी	13	3	10
6	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	108	74	34
		योग	**3342**	**1583**	**1759**

टीप– उपरोक्त के अतिरिक्त अराज्य स्तरीय, हेल्पर–331, चौकीदार–420, लाईनमेन–13 एवं क्लीनर के 3 सांख्येत्तर पद स्वीकृत है।

विभागीय कर्मचारियों/ अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न विषयों में 55 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

वर्ष 2025 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार हैं:–

क्रं	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थ ान	प्रतिभागियों की संख्या
1.	अप्रेंटिश एक्ट 1961 के तहत् विभिन्न ट्रेडों (सिविल इंजी . डिग्री/डिप्लोमा एवं मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट डिप्लोमा) में प्रशिक्षण।	01.01.2025 से 31.12.2025	विभाग के विभिन्न कार्यालयों में।	55
2.	मास्टर "मेथेड वेलिडेसन एण्ड वेरीफिकेशन फ ॅर केमिकल एनालिसिस (कवरिग पेस्टिसाइड रिसिडियू, कोन्टामिनेटस एण्ड एनालिसिस) विद क्यूसीआई/टीसीबीएस ऑनलाईन ट्रेनिंग	24.07.2025 से 25.07.2025	ऑनलाईन (भारत शासन से)	08
3.	ऑफिस मेनेजमेंट विषय पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण।	24.11.2025 से 26.11.2025	छत्तीसगढ़ प्र शासन अकादमी, निमोरा रायपुर	04
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर 01 दिवसीय प्रशिक्षण।	07.11.2025	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर	02
			कुल	69



भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के क्षमता संवर्धन विकास हेतु
दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम



केन्दीय भू-जल बोर्ड द्वारा रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायकों का विभिन्न पालियों मे
दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

भाग- पॉच

सारांश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नल जल योजनाओं के अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन एवं हैंडपंप के माध्यम से की जा रही हैं, वहीं शहरीय क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं कियान्वयन भी किया जाता है।

7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्था :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन एवं राज्य मद की योजनाओं से निरंतर एवं गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीणजनों को सुरक्षित एवं 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (पेयजल के लिए 3, खाना बनाने के लिए 5, नहाने के लिए 15, घर एवं बर्तनों की सफाई के लिए 10, शौचालय के लिए 10, कपड़े धोने एवं अन्य कार्य के लिए 12 लीटर) पेयजल उनके घरों में ही कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।



जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित
उच्चस्तरीय जलागार ग्राम चितालंका, जिला दंतेवाड़ा

भू–जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्रोत पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर, शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों एवं पेयजल योजनाओं

की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के कियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी है।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। प्रदेश के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर किया जा रहा है।

7.2 जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोलर आधारित नलजल योजना -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में ''हर घर नल से जल'' के तहत् प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ/ वनांचल/ बिजली की समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में सोलर ड्यूअल पंप के माध्यम से नलजल योजना का कियान्वयन किया जा रहा है।

7.3 नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था:

विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं कियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। नगरीय क्षेत्रों में पूर्व से कियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित संचालित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं कियान्वित की जा रही है।

7.4 विविध :

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय स्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पर आधारित समूह ग्राम जलप्रदाय योजनाएं कियान्वित की जा रही हैं। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्राथमिकता से कर, विभाग आधुनिक तकनीकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इस दिशा में उपखंड स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, ई–प्रोक्योरमेंट, जेम पोर्टल, ई–वर्क्स प्रकिया का उपयोग एवं टोल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत

निवारण व्यवस्था है।

राज्य स्तरीय एवं 28 जिलों की जिला स्तरीय जल प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य की शेष जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग के पास 1:50,000 स्केल के हाइड्रो–जियो–मार्फोलॉजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु किया जा रहा है। जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के 151 ग्रामों तथा जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा, बेरला, नवागढ़, साजा के 80 ग्रामों तथा जिला मुंगेली, के विकासखण्ड मुंगेली, पथरिया के 52 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (एन.आर.एस.सी.) द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10,000 स्केल पर हाइड्रो–जियो–मॉर्फोलाजिकल नक्शे आवश्यकतानुसार तैयार कराये गये है। जिनका उपयोग नलकूप खनन हेतु यथोचित स्थल के चयन हेतु किया जा रहा है।

i. शिकायत एवं सुझाव प्रणाली :

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा **टोल फ्री नम्बर 1800-233-0008** स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

पूर्व संचालित टोल–फ्री नंबर के साथ ही चार अंकों का सरलीकृत नवीन **टोल-फ्री नंबर 1916** की भी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। जिससे आम नागरिकों को एक अतिरिक्त सरल एवं सुगम प्रणाली उपलब्ध हो सकेगी।

ii. हैण्डपंप ट्रैकर :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु पेयजल स्रोतों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाईल आधारित प्रणाली विकसित की गयी है। जिसके माध्यम से जल स्रोत/हैण्डपंप की ऑनलाईन जी. आई.एस. लोकेशन की जानकारी जैसे कि राज्य में कितने प्रतिशत हैण्डपंप विभिन्न कारणों से खराब है तथा इन हैण्डपंप के सुधार में औसतन कितने दिन लग रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है।

iii. मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम (एम.आर.एम.एस.) :

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु विभागीय रिंग मशीनों माध्यम से खनित किये जा रहे नलकूप एवं उन पर हैण्डपंप स्थापना तक के कार्यों की जानकारी मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से एकत्र की जाती है।

iv. मोबाइल बेस्ड कार्य मॉनिटरिंग सिस्टम (जल जीवन मिशन फील्ड मॉनिटरिंग एप):

जल क्रिया पोर्टल योजनाओं के विभिन्न चरणों में निर्माण गतिविधियों और सामग्रियों की निगरानी के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यान्वित एक फील्ड मॉनिटरिंग एप है। जल क्रिया पोर्टल घटक की फोटो, जीपीएस लोकेशन और तारीख–समय को कैप्चर करता है। जल क्रिया एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर क्षेत्र के उपयोगकर्ता और विभाग के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।

V. सूचना एवं प्रचार - प्रसार गतिविधियाँ :

1. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता हेतु प्रचार-प्रसार अभियान-

ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी के लिए आईईसी अभियान आयोजित किया जा रहा हैं जहां स्थानीय समुदाय के सदस्यों को पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में, जल के महत्त्व, जल जनित बीमारियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और पीने के पानी के सुरक्षित प्रबंधन और भंडारण आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

2. प्रचार-प्रसार गतिविधियां -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के द्वारा सोशल मीडिया अभियान जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत एवं जिले स्तर पर किये जा रहे उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्यों से सम्बंधित फोटो, वीडियो एवं सफलता की कहानियों को जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर एवं इन्स्टाग्राम पेज पर जिलों के द्वारा साझा किया जा रहा है।

3. जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास अभियान

जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाले नल जल योजनाओं के संचालन/संधारण कार्य हेतु कौशल प्रशिक्षण के रूप में प्रदेश के ग्रामीण युवकों/युवतियों को प्रशिक्षित किया गया एवं यह कार्य निरंतर जारी है।

4. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियान :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कियान्वयन सहयोगी संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पी.आर.आई. गतिविधियाँ, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (व्ही.डब्ल्यू.एस.सी) के बैठकों का आयोजन तथा समुदायों की भागीदारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, संचालित किया जा रहा है।

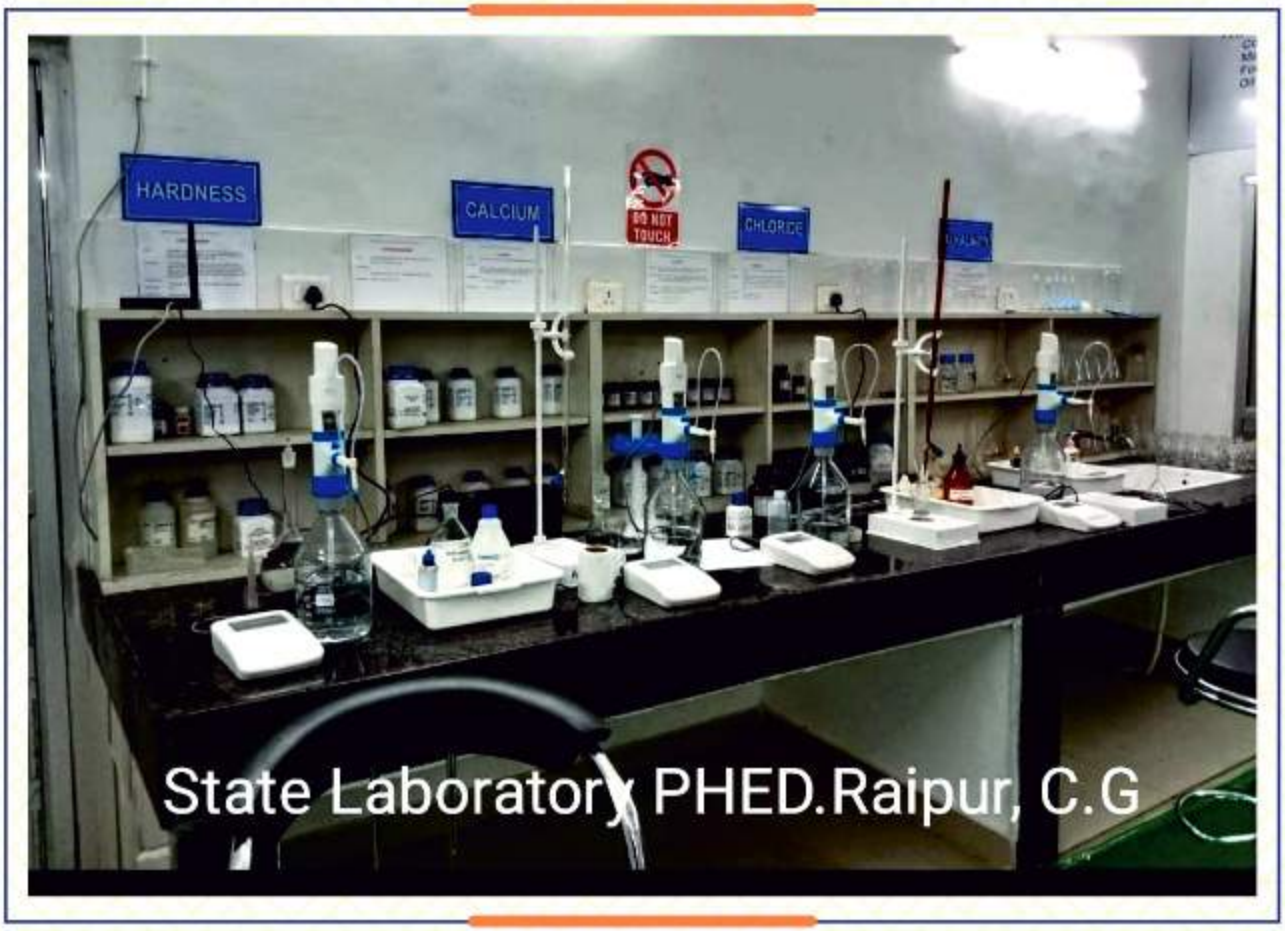
5. जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक पंचायत की 5–5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं उनके माध्यम से ग्राम के पेयजल के स्रोतों के जल नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है एवं उन्ही के

द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन प्रगति दर्ज की जा रही है।

6. जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्र:

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधन एवं प्रयोगशाला के संसाधन को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु अनुसंधान केन्द्र कार्यरत् हैं। राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, रावणभाठा, रायपुर में पेयजल में मौजूद हैवी मेटल एवं विशेष घटकों जैसे आर्सेनिक, यूरेनियम, सीसा एवं एलम्यूनियम आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है।



राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला

7. जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है।

रिपोर्ट कार्ड • पीएचई मंत्री बोले- 5 हजार ग्राम पंचायतों को सौंप चुके जल जीवन मिशन की चाबी

2 साल में 32 लाख घरों तक पहुंचा पीने का पानी, 6572 गांवों में 100% नल कनेक्शन

सागर मुद्रा | रायपुर

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट अब तेजी से अतीत की बात बनता जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में पहले दो वर्षों में घर-घर नल से पानी पहुंचाने की रफ्तार ऐसी रही कि 32 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधे नल से शुद्ध पेयजल मिलने लगा है। कुल 40.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जो प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी ग्रामीण जलपूर्ति उपलब्धि मानी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिशन शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में महज 5.19 लाख घरेलू नल कनेक्शन थे। उपमुख्यमंत्री और पीएचई मंत्री श्रवण साव ने कहा कि बजीमान सरकार के कार्यकाल में इसमें कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जिलावार आंकड़ों के मुताबिक धमतरी, रायपुर और राजनांदगांव जैसे जिले लगभग पूर्ण कवरेज के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि बीजापुर, नारायणपुर और जशपुर जैसे आदिवासी व दूरस्थ जिलों में अब भी तेज काम की जरूरत है।

बुधवार को नया रायपुर अटल नगर में मंत्री श्रवण साव ने अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामों का लेखा-जोखा रखा। उन्होंने कहा कि राज्य के 6,572 गांवों में शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से 5,564 गांवों को 'हर घर जल ग्राम' घोषित किया गया है, जबकि 4,544 गांवों का विधिवत प्रमाणीकरण भी किया जा चुका है। पीने के स्रोतों में प्रमाणित हर घर जल ग्रामों की संख्या में करीब 750 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो योजना के तेजी से जमीन पर उतरने का संकेत देती है। गांवों में जलपूर्ति व्यवस्था को स्थायी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। अब तक 5,088 ग्राम पंचायतों को जलपूर्ति योजनाओं का हस्तांतरण किया जा चुका है।



सबसे आगे जिले (90% से ज्यादा कवरेज)

जिला	घर संख्या	नल लगे	प्रतिशत
धमतरी	1.54 लाख	1.53 लाख	99.39%
रायपुर	1.89 लाख	1.82 लाख	95.93%
राजनांदगांव	1.56 लाख	1.41 लाख	90.51%
जांजगीर-चांपा	2.07 लाख	1.87 लाख	90.49%
दुर्ग	1.54 लाख	1.38 लाख	89.53%

पोस्टर्स बड़ी समूह जल प्रदाय योजनाओं पर

प्रदेश में अभी 70 समूह जल प्रदाय योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से 3,208 गांवों को लाभ मिला रहा है। इन योजनाओं के जरिए 9.85 लाख से ज्यादा घरेलू नल कनेक्शन जोड़े गए हैं। दूर-दराज और जलसंकटग्रस्त गांवों तक लगातार पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। जल की गुणवत्ता को लेकर भी विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। प्रदेश में 77 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं चल रही हैं। इनमें से 67 एनएबीएल मान्यता प्राप्त हैं। शिकायतों के जल्द निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-0008 जारी किया गया है। लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए दो साल में 28.38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 629 अनुबंध निरस्त किए गए और 11 फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया है।

जल जीवन मिशन: 2 साल की बड़ी उपलब्धियां

• 40.87 लाख घरेलू नल कनेक्शन • 6,572 गांवों में 100% कनेक्शन • 5,564 'हर घर जल ग्राम' • 4,544 गांव प्रमाणित • 28.38 करोड़ का जुर्माना, • 11 फर्म ब्लैकलिस्ट।

अच्छी प्रगति वाले जिले (85–90%)

• मुंगेली- 88.96% • गरियाबंद- 88.28% • रायगढ़- 88.09% • बेमेतरा- 87.88% • बलरामपुर- 87.42% • बैकुण्ठपुर-सूरजपुर-मनेंद्रगढ़- 85.19% • खैरागढ़-छुईखदान-गंडई- 85.86% • कबीरधाम- 84.85% • दंतेवाड़ा- 84.55% • महासमुंद- 84.11%।

मध्यम स्थिति (75-85%)

• बालोद- 83.58% • कवर्धा-पंडरिया-पंडरिया- 83.16% • सीतापुर-81.72% • गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 81.11% • दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा- 80.40% • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी- 76.21% • उत्तर बस्तर कांकेर- 75.14%।

पिछड़े जिले (75% से कम)

• बिलासपुर- 74.26% • कोरिया- 73.47% • बलरामपुर-रामानुजगंज- 73.18% • मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर- 72.51% • कोरबा- 71.44% • सुकमा- 70.74% • मगुला- 70.56% • सूरजपुर- 70.19% • जशपुर- 68.14% • नारायणपुर- 66.91% • बीजापुर- 58.80%।

नदी पार के गांव में जल जीवन मिशन पूरा



दंतेवाड़ा, 24 सितंबर (देशबन्धु)। कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल स्वच्छता समिति मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव निखिल कंवर के मार्गदर्शन में गीदम विकासखण्ड के ग्राम पंचायत पहुरनार के आश्रित ग्राम बड़ेकरका को शत-प्रतिशत हर घर जल प्रमाणीकरण घोषित करते हुए सरपंच श्रीमती चुकड़ी अलाम, सचिव भुवनेश्वर, उपसरपंच को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

- पाहुरनार के बड़ेकरका को मिला प्रमाण पत्र
- सरपंच-उप सरपंच और सचिव की सराहना

इस अवसर पर आयोजित जल सभा कार्यक्रम में जिला परियोजना समन्वयक आईएसए शिल्पी शुक्ला द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल हर घर जल के संचालन, संधारण, प्रबंधन एवं सतत क्रियाशील बनाए रखने की जिम्मेदारियों से अवगत कराने, जल जीवन मिशन के तहत प्रदत्त पाईप लाईन, सोलर, घरेलू नल कनेक्शन का सदुपयोग, साथ ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, जल बहिनी, पंप आपरेटर, प्लंबर, हेल्पर एवं समस्त ग्राम वासियों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने की आग्रह किया गया। इस मौके पर वार्ड पंच, ग्राम जन प्रतिनिधि, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुष, जल बहिनियों, ग्रामीणों एवं विभाग के सहायक अभियंता, अधिकारी कर्मचारियों और ठेकेदार उपस्थित थे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दो वर्षों के कार्यों की रिपोर्ट पेश

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य : अरुण साव

विशेष संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में व्यापक और ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि जल जीवन मिशन के



अंतर्गत राज्य में अब तक 40 लाख 87 हजार 27 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे 32 लाख घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। उन्होंने बताया कि मिशन लागू होने से पूर्व प्रदेश में केवल 3 लाख 19 हजार 741 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के बीते दो वर्षों में इस संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित, शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराया जाए और छत्तीसगढ़ को शीघ्र ही 'हर घर जल' राज्य के रूप में स्थापित किया जाए।



जल ही जीवन है।



माननीय मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री विष्णु देव साय जी द्वारा जल बहिनियों को जल गुणवत्ता प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरण



माननीय उप-मुख्य मंत्री छ.ग. शासन, श्री अरूण साव जी द्वारा नव नियुक्त हैण्डपंप टेकनीशियन को नियुक्त पत्र का वितरण



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यालय माननीय उपमुख्यमंत्री 0771-2510319, 2221318
कार्यालय सचिव 0771- 2510496
कार्यालय मिशन संचालक 0771-2962920, 2442920
कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2331368

ग्रामीण पेयजल शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर- 1800 233 0008 एवं 1916